न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. सुरेन्द्र कुमार / अनुज हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/06	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 11/07/25 को पेश हों।	
11/07/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता हैं। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमति जताते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील वादी तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत हैं। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:31:31 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रूड़मल जाति जाट निवासी एस.पी. 1, रीको एरिया, अरावली कॉलेज, नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

–वादी

बनाम

1. अनुज पुत्र सत्यनारायण जाति महाजन निवासी बिजराणियां आइस फैक्ट्री के पास, फाटक नं. 76, अग्रवाल पेट्रोल पम्प के पीछे, नीमकाथाना वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 113 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री सूरजभान पूनियां एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज....................मुबलिग..बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 11 माह 07 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.............
ओहदा.............

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:31:31 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।